फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालतः– जिला कलक्टर, बारां

सरकार बनाम गोकुल वगैरह

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन
(धारा 285 भादस व धारा 3 की उप धारा 4(ख),
7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

नम्बर 7/2023 सन्..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/8/23	प्रार्थी श्री हेमन्त सुमन पुत्र बहादुर सुमन, जाति माली निवासी लंका कॉलोनी रावण जी का चौक, बारां जिला बारां (राज0) की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र बाबत् सुपुर्दगी वाहन अल्टो कार नंबर आर.जे. 28 सी.ए. 5516 धारा 285 भादस व धारा 3 की उप धारा 4(ख), 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। ए.पी.पी. के माध्यम से केस डायरी थाना कोतवाली बारां से तलब की गयी। प्रकरण दर्ज हो।	

केस डायरी प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी एवं सहायक लोक अभि0 की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अधिनियम के तहत थाना कोतवाली बारां द्वारा प्रार्थी का वाहन आर.जे. 28 सी.ए. 5516 जप्त कर लिया गया है। जो थाना कोतवाली बारां में खडा है। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली बारां द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गयी है, अब वास्ते तफ्तीश प्रार्थी के उक्त वाहन की थाना कोतवाली बारां को कोई आवश्यकता नहीं है। जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक व स्वामी है जो उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु सक्षम व्यक्ति है। यदि ज्यादा समय तक उक्त वाहन पुलिस थाना कोतवाली बारां में खडा रहा तो उसमें खराबी हो जाने की पूर्ण संभावना है इसलिए उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। बाद सुपुर्दगी जब भी माननीय न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगें तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय श्रीमान में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णत पालना करेगा। अतः प्रार्थी की सुपुर्दगी में उक्त वाहन को दिये जाने का आदेश फरमावें।

ए.पी.पी ने दौराने बहस तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी कोतवाली बारां का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि "अब तक की सम्पूर्ण तकमील तफ्तीश से मुलजिम 1.गोकुल पुत्र मोहन लाल, जाति जाटव निवासी कुन्ज बिहार कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां 2. विजय पुत्र मुकेश कुमार, जाति माली, निवासी नारेडा थाना बारां सदर, 3. मोहित पुत्र सूरजमल, जाति जाटव, निवासी फतेहपुर थाना बारां सदर, जिला बा[illegible] भा0द0स0 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का [illegible]णित पाया जाने पर मुलजिमान गोकुल, वि[illegible] न्यायालय में पेश किया गया जहां से उक्त मुलजिमान [illegible] न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। प्रकरण हाजा में ज[illegible]ुदा वाहन के संबंध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को स्वामी को सुपुर्द किया जाने पर आपत्ति नहीं है।"

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली व केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी कोतवाली

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज
	बारां का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी हेमन्त सुमन पुत्र बहादुर सुमन, जाति माली निवासी रावण जी का चौक, बारां जिला बारां (राज0) वाहन संख्या आर.जे. 28 सी.ए. 5516 का रजि0 स्वामी है तथा प्रकरण में तफ्तीश हो चुकी है। वाहन थाने पर खडा है। जिसके खराब होने का अंदेशा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन अल्टो को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में 2 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना करते हुए दिया जाता है। 1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा। 2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युवल करवायेगा। 3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नही करेगा। 4. जब भी न्यायालय तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। अभिभाषक प्रार्थी एवं प्रार्थी हेमन्त सुमन व जमानती सुरेन्द्र कुमार ने आदेशानुसार बीमा अंतरण बाबत शपथ पत्र, सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश किये जो तस्दीक किये जाकर शा0 फा0 किये गये। थानाधिकारी कोतवाली, बारां को लिखा जावे कि यदि वाहन संख्या आर.जे. 28 सी.ए. 5516 अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी हेमन्त सुमन को सुपुर्द कर रसीद एवं वाहन के सामने से बगल से चारों ओर के रंगीन फोटो खिंचवाकर न्यायालय में पेश करे। तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, कोतवाली के शामिल फाईल रहे। केस डायरी वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। जिला कलक्टर बारां (राज0) केस डायरी प्राप्त कि ... FC368 P.S. कोतवाली बारां दिनांक 14/02/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:24 IST
Reason: SelfAttested